

है।



5.11.24

पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रतिवादी  
नामिल हेतु वादी को सूच और अवकाश दिया जाता है। पत्रावली  
वास्तु नामिल दिनांक 26.11.24 को पेश ले



26.11.24

पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रत्यक्ष  
लम्बे समय से नामिल हेतु नियत है। वादी को पूर्व में भी कई  
प्रतिपक्ष अवकाश दिए जाने के बावजूद शेष नामिल हेतु सकल शेष  
पेश नहीं किया है। न्यायालय द्वारा क्रम-क्रमकर कई बार भर्षण  
लगाकर बावजूद कोई न्यायालय समय समाप्ति तक कोई उपस्थित  
नहीं हुआ है। मिलते जाहिर है कि वादी अपने वाद के प्रति गंभीर  
नहीं है।

अतः वादी का वाद शोडश नियम 58 तहत अदम नामिल  
अदम धर्म अदम पैरवी के खारिज किया जाता है। निर्णय ले-  
इजलास युनाय गया। प्रकल फलल शुभा हेतु नम्बर से रुम  
है।



(रिया डबी)  
RAS